मिशन शक्ति फेज 5.0

दिनांक: 21.09.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा एवं सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत नाबालिग से छेडखानी के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

- **मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं व बालिकाओं के प्रति संवेदनशीलता ,सुरक्षा ,स्वावलंबन व सम्मान को सुरक्षित करना सहारनपुर पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।**

अवगत कराना है कि दिनांक 11.09.2025 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त तेजपाल पुत्र पूरण सिह निवासी रामनगर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर द्वारा वादिया की पुत्री के साथ छेडछाड व अश्लील हरकत करने के सम्बंध मे थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 414/25 धारा 74/115(2)/352 बीएनएस व 9M/10 पोक्सो एक्ट मे पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सम्बन्धी अपराधो मे त्वरित कार्यवाही कर वाछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश निर्देश दिये गये। आदेश निर्देशो के क्रम मे पुलिस अधीक्षक नगर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.09.2025 को वाछित अभियुक्त तेजपाल पुत्र पूरण सिह निवासी रामनगर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर सम्बन्धित मु0अ0सं0 414/2025 धारा 74/115(2)/352 बीएनएस व 9M/10 पोक्सो एक्ट को रामनगर चौक के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. तेजपाल पुत्र पूरण सिह निवासी रामनगर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री नरेन्द्र सिह थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
2. है0का0 736 दीपक नागर थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
3. का0 934 रुपेन्द्र सिह थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

उ0प्र0 सरकार की महत्वकांक्षी योजना अभियान "मिशन शक्ति के अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत जनपदीय पुलिस द्वारा ग्राम/कस्बा/मौहल्ला/शिक्षण संस्थानों इत्यादि पर भ्रमण/चौपाल लगाकर छात्राओं/बालिकाओं एवं महिलाओं को उनके अधिकारों, वूमेन पावर लाइन-1090, यूपी-112, विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देकर निरन्तर जागरूक किया जा रहा है।

दिनांक- 21.09.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ़, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 शातिर शराब तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 65 पाउच देशी शराब महबूबा मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी एव अवैध शराब तस्करो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष श्री अक्षय शर्मा के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 21.09.2025 को थाना बिहारीगढ़ पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर अभियुक्त **1. भीम पुत्र नाथीराम निवासी ग्राम जहानपुर थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर** को ग्राम जहानपुर को जाने वाले रास्ते की पुलिया से एवं अभियुक्त **2. अर्जुन पुत्र धर्म सिंह निवासी ग्राम जहानपुर थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर** को ग्राम ताल्हापुर तिराहा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त भीम पुत्र नाथीराम उपरोक्त के कब्जे से 40 पाउच देशी शराब महबूबा व अभियुक्त अर्जुन पुत्र धर्म सिंह उपरोक्त के कब्जे से 25 पाउच देशी शराब महबूबा मार्का बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बिहारीगढ़ पर मु0अ0सं0 114/25 धारा 60 आबकारी अधिनियम बनाम भीम उपरोक्त व मु0अ0सं0 115/25 धारा 60 आबकारी अधिनियम बनाम अर्जुन उपरोक्त पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. भीम पुत्र नाथीराम निवासी ग्राम जहानपुर थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर
2. अर्जुन पुत्र धर्म सिंह निवासी ग्राम जहानपुर थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

- 40 पाउच देशी शराब महबूबा मार्का
- 25 पाउच देशी शराब महबूबा मार्का

अभियुक्त भीम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 111/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बिहारीगढ़ जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. थानाध्यक्ष श्री अक्षय शर्मा थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री विजय सिह थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर
4. है0का0 1218 विकास कुमार थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर
5. का0 1377 रवि कुमार थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 21.09.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण, वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह थाना कुतुबशेर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.09.2025 को एक वारण्टी अभियुक्त **राजीव भाटी पुत्र स्व0 आनन्द प्रकाश भाटिया निवासी म0नं0 6427 रामचन्द्रपुरी मैदान फाटकर के पास थाना कुतुबशेर सहारनपुर** संम्बन्धित वाद सं0 – 5444/2024 धारा 379/420 भादवि (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सहारनपुर) को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। वारंटी अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पताः-

1. राजीव भाटी पुत्र स्व0 आनन्द प्रकाश भाटिया नि0 म0नं0 6427 रामचन्द्रपुरी मैदान फाटकर के पास थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. उ0नि0 मुकेश कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2. है0का0 1217 राजेन्द्र थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 21.09.2025

"मिशन शक्ति फेज 5.0"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

मिशन शक्ति फेज-05 के अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण व जागरुकता हेतु रिजर्व पुलिस लाइन्स सहारनपुर से महिला पुलिसकर्मी एवं प्रशासनिक महिलाकर्मियों की स्कूटी रैली को हरी झण्डी दिखाकर किया गया रवाना

- **मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं व बालिकाओं के प्रति संवेदनशीलता, सुरक्षा, स्वावलंबन व सम्मान को सुरक्षित करना सहारनपुर पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है ।**

अवगत कराना है कि महिला सम्बन्धी अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने तथा महिला सशक्तिकरण के दृष्टिगत माननीय मुख्यमंत्री उ0प्र0 महोदय द्वारा प्रदेश में दिनांक 22.09.2025 से 30 दिवस का ''मिशन शक्ति फेज 5.0'' अभियान चलाया जा रहा है।

अभियान के क्रम में आज दिनांक 21.09.2025 को समय 16.00 बजे मण्डलायुक्त सहारनपुर मण्डल, पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र, जिलाधिकारी सहारनपुर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन्स सहारनपुर से स्कूटी रैली को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया। स्कूटी रैली का नेतृत्व क्षेत्राधिकारी कार्यालय सुश्री रूचि गुप्ता एवं क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री प्रिया यादव ने किया, जिसमें 232 स्कूटी पर सवार होकर कुल 464 महिला पुलिस अधिकारी/कर्माचारीगणों एवं अन्य विभागों की बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं महिला लेखपाल द्वारा प्रतिभाग किया गया। यह रैली पुलिस लाइन्स सहारनपुर से प्रारम्भ होकर कलैक्ट्रेट तिराहा, कोर्ट रोड़, घण्टाघर, देहरादून चौक, अस्पताल चौक व विश्वकर्मा चौक होते हुए वापस पुलिस लाइन्स सहारनपुर में समाप्त हुई।

उक्त कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सागर जैन, पुलिस अधीक्षक यातायात श्री सिद्धार्थ वर्मा एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री अभिषेक पाण्डेय द्वारा उपस्थित रहकर रैली शुभारम्भ में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया गया ।

उ0प्र0 सरकार की महत्वकांक्षी योजना अभियान "मिशन शक्ति के अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत जनपदीय पुलिस द्वारा ग्राम/कस्बा/मौहल्ला/शिक्षण संस्थानों इत्यादि पर भ्रमण/चौपाल लगाकर छात्राओं/बालिकाओं एवं महिलाओं को उनके अधिकारों, वूमेन पावर लाइन-1090, यूपी-112, विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देकर निरन्तर जागरूक किया जा रहा है।

दिनांक: 21.09.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शस्त्र व इनके कारोबार में संलिप्त अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.09.2025 को थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा गस्त व चैकिंग के दौरान 01अभियुक्त **सुएब पुत्र वहीद निवासी 62 फुटा रोड़ नुआयरा स्कूल के पास थाना मण्डी जनपद सहारनपुर** को बाबा लालदास रोड पर कब्रिस्तान के गेट के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 नाजायज चाकू बरामद हुआ। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0 385/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मै नशे का आदि हूँ तथा इस चाकू को दिखाकर डराकर मैं किसी भी व्यक्ति से पैसे छीन लेता हूँ और अपने नशे की पूर्ती कर लेता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सुएब पुत्र वहीद निवासी 62 फुटा रोड़ नुआयरा स्कूल के पास थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

01 नाजायज चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री रविन्द्र नागर थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर।
2. हे0का0 100 राहुल त्यागी थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर।
3. हे0का0 521 सुनील राणा थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 21.09.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा एवं सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत नाबालिग से दुष्कर्म के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

➢ मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं व बालिकाओं के प्रति संवेदनशीलता ,सुरक्षा ,स्वावलंबन व सम्मान को सुरक्षित करना सहारनपुर पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

अवगत कराना है कि दिनांक 19.09.2025 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त खुर्शीद पुत्र इरशद निवासी हसमत कालोनी, निकट कब्रिस्तान पुराना कलसिया रोड थाना मण्डी सहारनपुर द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बन्धक बनाकर, दुष्कर्म करना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 383/25 धारा 127(2)/64(1)/351(3) बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट में पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए गये, जिनके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.09.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त **खुर्शीद पुत्र इरशद निवासी हसमत कालोनी, निकट कब्रिस्तान पुराना कलसिया रोड थाना मण्डी सहारनपुर** को मदरसे के पास हसमत कालोनी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

खुर्शीद पुत्र इरशद निवासी हसमत कालोनी, निकट कब्रिस्तान पुराना कलसिया रोड थाना मण्डी सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री राहुल शर्मा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
2. का0 2245 अंशु यादव थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
3. का0 1627 अमित कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

उ0प्र0 सरकार की महत्वकांक्षी योजना अभियान "मिशन शक्ति के अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत जनपदीय पुलिस द्वारा ग्राम/कस्बा/मौहल्ला/शिक्षण संस्थानों इत्यादि पर भ्रमण/चौपाल लगाकर छात्राओं/बालिकाओं एवं महिलाओं को उनके अधिकारों, वूमेन पावर लाइन-1090, यूपी-112, विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देकर निरन्तर जागरूक किया जा रहा है।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 21.09.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध चाकू, 01 साइकिल का रेहड़ा व 1250/- रूपये नकद बरामद

अवगत कराना है दिनांक 13.09.2025 को वादी पंकज चन्कोड निवासी शारदा नगर सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर से किचन का सामान चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0- 476/2025 धारा 305(ए) बीएनएस थाना सदर बाजार पर पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए गये, जिनके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.09.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शातिर अभियुक्त **मेहताब उर्फ़ विराट कोहली उर्फ़ छोटू पुत्र फखरुद्दीन निवासी किराए का मकान इन्तजार का, मदरसा वाली मस्जिद के पास, नूर बस्ती थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर** को ITC रोड की तरफ रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 1250/- रूपये नकद, 01 अवैध चाकू व 01 साइकिल का रेहड़ा बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई तथा मु0अ0स0 496/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मेहताब उर्फ़ विराट कोहली उर्फ़ छोटू पुत्र फखरुद्दीन निवासी किराए का मकान इन्तजार का, मदरसा वाली मस्जिद के पास, नूर बस्ती थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0 18/24 धारा 3आर0पी0 (यू0पी0)एक्ट थाना आर0पी0एफ0 सहारनपुर।
2. मुoअoसंo 476/2025 धारा 305(a) BNS थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर व वृद्धि धारा 317(2) BNS
3. मु0अ0स0 496/2025 धारा 4/25 Arms Act

बरामदगी का विवरणः-

- 1250/- रूपये नकद
- 01 साईकिल का रेहड़ा
- 01 अवैध चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 श्री सुशील कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. है0का0 660 कपिल कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर।
3. काo 243 रोहित कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 21.09.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से टयूबवैल स्टार्टर, कट-आउट व केबल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 21.09.2025 को वादी धनीराम पुत्र रतिराम निवासी ग्राम अलीपुर सिम्भालकी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की ट्यूबवेल से स्टार्रटर, कट-आउट व केबल चोरी करने लेने के सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 95/25 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना के तत्काल संज्ञान लेकर घटना के अनावरण हेतु एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं चोरी गये सामान की बरामदगी हेतु आदेश निर्देश दिये गये। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.09.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुये अभियुक्त **सालिम पुत्र कामिल निवासी छोटी मस्जिद निकट ग्राम फतेहपुर भादो थाना फतेपुर सहारनपुर** को कमेशपुर बिजली घर के पीछे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशादेही पर चोरी किये गये टयूबवैल स्टार्टर, कट आउट व केबल बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

सालिम पुत्र कामिल नि0 छोटी मस्जिद निकट ग्राम फतेहपुर भादो थाना फतेपुर सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

- टयूबवैल स्टार्टर, कट-आउट व केबल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा थाना फतेहपुर सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री अनिल तेवतिया थाना फतेहपुर सहारनपुर।
3. उ0नि0 शुमभ चौधरी थाना फतेहपुर सहारनपुर।
4. है0का0 961 रोहित राणा थाना फतेहपुर सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक- 21.09.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से छीना गया 01 पीली धातु का कुण्डल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 21.09.25 को वादी श्री प्रवीण पुत्र समय सिंह निवासी ग्राम बडकला थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अमित पुत्र मदन सिंह निवासी ग्राम बडकला थाना फतेपुर सहारनपुर द्वारा वादी की माँ के कान का कुण्डल झपट लेने के सम्बन्ध थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 244/25 धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना के तत्काल संज्ञान लेकर घटना के अनावरण हेतु एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं छीने गये सामान की बरामदगी हेतु आदेश निर्देश दिये गये। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.09.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा छिनेती की घटना का सफल अनावरण करते हुये अभियुक्त **अमित पुत्र मदन सिंह निवासी ग्राम बडकला थाना फतेपुर सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशादेही पर छिनेती का पीली धातु का कुण्डल बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. अमित पुत्र मदन सिंह निवासी ग्राम बडकला थाना फतेपुर सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 01 कान का कुण्डल पीली धातु का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. उ0नि0 संजय कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर
3. उ0नि0 विजयपाल सिंह थाना फतेहपुर सहारनपुर
4. है0का0 738 विनोद कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर

प्रेस नोट

दिनांक: 21.09.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या की घटना में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशादेही से घटना मे प्रयुक्त 01 दांव, 01 मोबाईल फोन, 02 जमीन नापने के फीते, 01 रजिस्टर, 02 डायरी, 01 जोडी दस्ताने रंग काला, 01 मो0सा0 बरामद ।

अवगत कराना है कि दिनांक- 19.09.2025 को **वादी श्री कौशर पुत्र शाहदीन निवासी जन्धेडा समसपुर थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर** की लिखित तहरीर बाबत **अभियुक्त अनुज पुत्र शिवचरण निवासी ग्राम जन्धेडा समसपुर थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर** द्वारा वादी के पिता शाहदीन की धार दार वस्तु से गर्दन व छाती पर वार कर हत्या कर देना जिससे वादी के पिता की मौके पर मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध मे **मु0अ0सं0- 420/2025 धारा 103(1) बी.एन.एस** पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, महोदय सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर हत्यारोपी की गिरफ्तार हेतू आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। आदेश निर्देश के क्रम मे पुलिस अधीक्षक नगर एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे थाना प्रभारी रामपुर मनिहारन श्री सतेन्द्र नागर के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 21.09.2025 को थाना रामपुर मनिहारन पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्त **अनुज पुत्र शिवचरण निवासी जन्धेडा समसपुर थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर को ग्राम चन्दनपुर रेलवे अन्डर पास पटरी रजवाह से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से घटना मे प्रयुक्त 01 दाव, 01 मोबाईल फोन सैमसंग, 02 जमीन नापने के फीते, 01 रजिस्टर , 02 छोटी डायरी, 01 जोडी दस्ताने रंग काला, 01 मोटर साईकिल हीरो सुपर स्पलैण्डर रजि UP11BV8574** बरामद की गयी । बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की बढौत्तरी की गयी। अभियुक्त को समय से माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है।

पूछताछ विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त अनुज ने पूछताछ पर बताया कि मृतक शाहदीन ने मेरे खेत की गलत पैमाइश कर दी थी मैं शाहदीन को बार बार अपने खेत की दोबारा से पैमाइश कराने की कहता था शाहदीन पैमाइश न कराने पर बहाने बना देता था इसने मेरी जमीन ज्यादा नापकर गांव के ही सर्वेश कुमार को दिलवा दी थी इसी बात से ही मुझे शाहदीन से घृणा थी । इसी बात को लेकर मैने शाहदीन की हत्या कर दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. अनुज पुत्र शिवचरण निवासी ग्राम जन्धेडा समसपुर थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

- 01 दाव (घटना मे प्रयुक्त)
- 01 मोबाईल फोन सैमसंग (मृतक का)
- 02 जमीन नापने के फीते
- 01 रजिस्टर व 02 छोटी डायरी
- 01जोडी दस्ताने रंग काला
- 01 मोटर साईकिल हीरो सुपर स्पलैण्डर रजि UP11BV 8574 (मृतक की)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र0नि0 श्री सतेन्द्र सिह थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
2. व0उ0नि0 श्री सुरेश कुमार थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
4. है0का0 760 गुड्डु तंवर थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर
5. का0 1441 अजीत नैन थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर

6. का0 1887 अंकित सिंह थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक- 21.09.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया हुआ केबल व घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद

अवगत कराना है कि **दिनांक 19.09.2025 को** वादी विपिन पुत्र गजेन्द्र निवासी ग्राम दूधला थाना गंगोह सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबात अज्ञात चोरों द्वारा वादी व वादी के पडोसी देवेन्द्र सिह व अन्य की ट्यूबवैल से केविल चोरी कर लिये जाने के सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु0अ0सं0- 328/25 धारा 303(2) बीएनएस **तथा दिनांक 13.09.2025 को** वादी लोकपाल पुत्र देवी सिह निवासी ग्राम बन्दाहेडी थाना गंगोह सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1.सोनू पुत्र शिवलाल निवासी ग्राम बन्दाहेडी थाना गंगोह सहारनपुर व अन्य द्वारा वादी व वादी के पडौस के अन्य व्यक्तियों के ट्यूबवैल से केबल काटकर चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु0अ0स0 392/25 धारा 303(2) बीएनएस अभियोग पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध की रोकथाम व चोरी की घटनाओ के अनावरण व गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में तथा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह श्री पीयूष दीक्षित के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.09.2025 को चोरी की घटनाओं का अनवारण करते हुए **अभियुक्तगण 1.नदीम पुत्र सलीम निवासी मौहल्ला गुलाम औलिया कस्बा गंगोह सहारनपुर 2. सोनू उर्फ सुलेमान पुत्र फैजान उर्फ भोगर निवासी मौ0 कुरैशियान कस्बा गंगोह सहारनपुर** को मुखबिर की सूचना पर ग्राम खानपुर गुर्जर की तरफ से बूढ़नपुर पुल की तरफ जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से उपरोक्त मुकदमो से सम्बन्धित चोरी किया हुआ केबल व घटना में प्रयुक्त चोरी की मोटर साईकिल बिना नम्बर प्लेट भी बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोगो में धारा 317(2)/317(5) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि हम दोनों ने करीब 10 दिन पहले ग्राम बन्दाहेडी के जंगल से कई ट्यूबवेलो से केबल चोरी किये थे तथा करीब 01 महीने पहले ग्राम दूधला के जंगल से भी ट्यूबवैलो से केबल चोरी किये थे। जिसमे से हमने कुछ तारो को पहले चलते फिरते कबाड़ी को बेच दिए थे तथा पैसे खाने पीने में खर्च कर दिये थे तथा जो तार बच गए थे उन्हें आज हम किसी कबाडी को बेचने की फिराक में जा रहे थे कि पुलिस ने हमे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. नदीम पुत्र सलीम निवासी मौहल्ला गुलाम औलिया कस्बा गंगोह सहारनपुर।
2. सोनू उर्फ सुलेमान पुत्र फैजान उर्फ भोगर निवासी मौ0 कुरैशियान कस्बा गंगोह सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 11.5 मीटर बिजली केबल
- 01 मोटर साईकिल स्पलैण्डर (बिना नम्बर प्लेट)

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास अभियुक्त

1. मु0अ0सं0 607/20 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थना गंगोह जिला सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 118/24 धारा 380/411 भादवि थाना गंगोह जिला सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 122/24 धारा 3/4/25 आयुद्ध अधि0 थाना गंगोह जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 श्री पीयूष दीक्षित थाना गंगोह जिला सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री देवकीनन्दन थाना गंगोह जिला सहारनपुर।
3. हे0का0 259 दीपक सागर थाना गंगोह जिला सहारनपुर।
4. का0 1820 अंकित मान थाना गंगोह जिला सहारनपुर।
5. का0 2167 राजन सिंह थाना गंगोह जिला सहारनपुर।

मिशन शक्ति फेज 5.0

-प्रेस नोट-

दिनांक: 21.09.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा एवं सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत नाबालिग से दुष्कर्म का 01 वांछित अभियुक्त,गिरफ्तार

मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं व बालिकाओं के प्रति संवेदनशीलता ,सुरक्षा ,स्वावलंबन व सम्मान को सुरक्षित करना सहारनपुर पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

अवगत कराना है दिनाँक 22.08.2025 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अक्षय पुत्र करन सिंह निवासी ग्राम कैरावली थाना करहल जिला मैनपुरी द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहलाफुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध मे थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 394/25 धारा 137(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सम्बन्धी अपराधो मे त्वरित कार्यवाही कर वाछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश निर्देश दिये गये। आदेश के क्रम मे पुलिस अधीक्षक नगर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.09.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्त **अक्षय पुत्र करन सिंह निवासी ग्राम कैरावली थाना करहल जिला मैनपुरी** को रेलवे स्टेशन RPF की बिल्डिग के पास गिरफ्तार किया गया। पीडिता/अपहृता को दिनांक 20.09.2025 मे बरामद किया जा चुका है। विवेचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त 87/64(2)m बीएनएस 5L/6 पोक्सो एक्ट की वृद्वि की गयी। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अक्षय पुत्र करन सिंह निवासी ग्राम कैरावली थाना करहल जिला मैनपुरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री विनय कुमार थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर ।
2. कां0 1552 रोहित कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

उ0प्र0 सरकार की महत्वकांक्षी योजना अभियान “मिशन शक्ति के अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत जनपदीय पुलिस द्वारा ग्राम/कस्बा/मौहल्ला/शिक्षण संस्थानों इत्यादि पर भ्रमण/चौपाल लगाकर छात्राओं/बालिकाओं एवं महिलाओं को उनके अधिकारों, वूमेन पावर लाइन-1090, यूपी-112, विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देकर निरन्तर जागरूक किया जा रहा है।

दिनांक: 21/09/2025

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते 01 चोर/अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से चोरी के 6000/- रूपये बरामद

सादर अवगत कराना है कि दिनांक 18/08/2025 को वादी फुरकान पुत्र जब्बार निवासी ग्राम मसावी थाना भवन जनपद शामली हाल दुकानदार ग्राम कुण्डा कलां थाना गंगोह सहारनपुर द्वारा की तहरीर बाबत अज्ञात चोरो द्वारा वादी की दुकान से नोटो की माला चोरी कर लेने के सम्बन्ध मे थाना गंगोह मु0अ0स0 324/25 धारा 305 (ए) बीएनएस बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी तथा विवेचना से अभियोग उपरोक्त में अभियुक्त छोटा उर्फ मुर्सलीन पुत्र इकबाल उर्फ बाला निवासी ग्राम कुंडा कला थाना गंगोह जिला सहारनपुर का नाम प्रकाश में आया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध की रोकथाम व चोरी की घटनाओ के अनावरण व गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में तथा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह श्री पीयूष दीक्षित के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21/09/2025 को चोरी की घटना का अनवारण करते हुए अभियुक्त **1. छोटा उर्फ मुर्सलीन पुत्र इकबाल उर्फ बाला निवासी ग्राम कुंडा कला थाना गंगोह जिला सहारनपुर** को मुखबिर की सूचना पर ग्राम कुण्डा कला से करीब 01 किमी दूर यमुना पुस्ते की तरफ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त कब्जे से चोरी किये हुए रूपयो में से 6000/- रू0 बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोगो में धारा 317(2) बी0एन0एस0 की बढोतरी की गयी। अभियुक्त छोटा उर्फ मुर्सलीन उपरोक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है।

पूछताछ विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि हमारे गांव में फुरकान की दुकान है जिस पर पैसो की माला मिलती है मैने आते जाते कई बार पैसो की माल को देखा था जिस कारण मैं लालच मे आ गया था और 15 अगस्त 2025 को फुरकान की दुकान से पैसो वाली माला चोरी कर ली थी। पकडे जाने के डर से अबतक मैं इधर उधर छिपता फिर रहा था

बरामदगी का विवरण

- 6000/- रू0 नकद

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. छोटा उर्फ मुर्सलीन पुत्र इकबाल उर्फ बाला निवासी ग्राम कुंडा कला थाना गंगोह जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 श्री पीयूष दीक्षित थाना गंगोह जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री विजय कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री सतेन्द्र कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर
4. हे0का0 60 शैलेन्द्र थाना गंगोह जिला सहारनपुर
5. हे0का0 990 योगेश थाना गंगोह जिला सहारनपुर